न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 237/2013/दावा

1. बनवारीलाल
2. विनोद कुमार } पुत्रगण तुलछाराम जाति खटीक निवासी मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादीगण

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र लादुराम
2. भंवरीदेवी पत्नि तुलछाराम
3. सुरेश पुत्र तुलछाराम
   समस्त जाति खटीक निवासीगण मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. पटवारी पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. उप–पंजीयक दांतारामगढ जिला सीकर।
6. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री आनन्द राड़ वकील वादीगण की ओर सें।
2. श्री हरदेवाराम सुण्डा प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर सें।

निर्णय

दिंनाक :– 26.04.2022

1. प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर सें आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि दावा में वादीगण द्वारा कृषि भूमि ख.नं. 396/731 रकबा 2.78 हैक्टर को पुश्तैनी कह कर उदघोषणा चाही है। जबकि उक्त भूमि पुश्तैनी नही है। पुश्तैनीह होने का कोई प्रमाण वादीगण द्वारा अपने दावे के साथ पेश नहीं किया है इस प्रकार दावा मिथ्या कथन के आधार पर होने से ग्रहण करने योग्य ही नही है एवं तत्काल खारीज किये जाने योग्य है। वाद में अंकित कृषि भूमि ख.नं. 396/731 रकबा 2.78 हैक्टर भूमि जिसके पुराने ख.नं. 109/2 रकबा 2.78 हैक्टर थे उक्त भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 द्वारा छीतरसिंह पुत्र श्री डालसिंह राजपूत निवासी मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर से दिनांक 21.05.1988 को क्रय की थी एवं विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण होकर खातेदारी प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम हुई है इस प्रकार दावाधीन कृषि भूमि स्वअर्जित है पुश्तैनी नही है। इसी आधार पर दावा खारीज होने योग्य है। पुश्तैनी भूमि बताकर खातेदारी हेतु उदघोषणा चाही गई है जब कृषि भूमि पुश्तैनी है ही नही स्वअर्जित है ऐसी स्थिति में दावा विधि विरूद्व होने से तत्काल खारीज होने योग्य है। दावा का मूल आधार ही गलत लिखा गया है ऐसी स्थिति में विधि विरूद्व होने से आदेश 7 नियम 11 (सी) सीपीसी के प्रावधानुसार दावा तत्काल खारीज होने योग्य है। दावा में मन्जु देवी खटीक,

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

गोपाललाल खटीक, सांवरमल, देवाराम, लालचन्द, कालूराम, तुलसीदेवी इत्यादि सहकृषक है उन्हे दावे में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया है इस प्रकार दावे में आवश्यक पक्षकार दोष निघमान होने से तत्काल खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल दावा अन्तर्गत ओदश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानुसार खारीज किया जावे।

2. वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जबाब पेश कर कथन किया कि वादीगण ने वाद के पैरा संख्या एक में यह स्पष्ट अंकन किया है कि वादीगण बचपन से ही बाहर महाराष्ट्र रहते है तथा वही पर मेहनत–मजदूरी करके अपनी बचत के रूपये अपने माता–पिता को देते आये है एवं वादीगण द्वारा भेजे गये रूपयों से वाद–पत्र में वर्णित विवादित आराजियात भूमि ख.नं. 396/731 रकबा 2.78 हैक्टर तन ग्राम मेई में खरीद कर वादीगण की माता के नाम करवा दी थी जिस पर आज दिन वादीगण संयुक्त रूप से ब–हैसियत मालिक काबिज है। प्रतिवादीगण ने कतई गलत कथनों का अंकन करते हुये आवेदन प्रस्तुत किया है जो मय हर्जा–खर्चा खारिज होने योग्य है। उक्त आराजियात वादीगण की माता के नाम होना, वादीगण अपने दावे में पूर्व में ही वर्णन कर चुके है परन्तु उक्त भूमियॉ वादीगण की मेहनत–मजदूरी व बचत के रूपयों से क्रय कर भूमि वादीगण की माता के नाम करवाई हुई है। प्रतिवादिया द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन इस स्टेज पर प्रथम दृष्टया ही मय हर्जा–खर्चा खारिज होने योग्य है। उक्त भूमियॉ वादीगण की मेहनत, मजदूरी व बचत के पैसों से खरीदी हुई भूमियॉ है जिनमें उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादीगण को पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन मय हर्जा–खर्चा खारिज होने योग्य है। वादीगण ने अपनी मेहनत–मजदूरी से बचत के पैसों से खरीदशुदा शामलाती कब्जे, काश्तशुदा कृषि भूमि में अपने हक, हिस्से की उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया है। जिसमें वादीगण को कानूनन सफलता की पूर्ण उम्मीद है। प्रतिवादीगण ने कतई गलत व मनघडन्त आवेदन प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही मय हर्जा–खर्चा सहित खारिज होने योग्य है। । वादीगण ने अन्य सह–खातेदारों के खिलाफ किसी तरह की कोई रिलीफ नहीं चाही है इसलिए उनको पक्षकार बनाया जाना भी आवश्यक नहीं है आवेदिका/प्रतिवादिया का आवेदन मय हर्जा–खर्चा सहित खारिज होने योग्य है। न देकर सीधा ही आवेदन पर बहस की गयी। वकील वादी ने न्यायिक दृष्टान्त अभिलेख की साक्ष्य के सही मूल्यांकन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह सही पाया गया था कि सयुक्त हिन्दु परिवार का केन्द्रक था। जिसका उपयोग प्रश्नगत संपति को क्रय करने के लिए किया जा सकता था एवं प्रतिवादी अपीलांट कमाक 1 पक्षकारों के पिता द्वारा छोड़े गये व्यवसाय का प्रबंध कर रहा था। प्रतिवादी अपीलांट कमांक 1 यह प्रमाणित करने में विफल रहा था कि उसने प्रश्नगत संपति को उसके स्व अर्जित धन से क्रय किया था 1. नरेन्द्र गोपाल बनाम रजत 2010 (1)एम.पी.जे.आर. 99 सु.कों, 2. महिला रूकमणी बाई बनाम लालालक्ष्मीनारायण और अन्य, ए.आई.आर. 1960 सु.को. 335 3. मुदी गोवदा गोवदप्पा बनाम रामचन्द्र, ए.आई.आर 1969 सु.को. 1076 पेश किया। दौराने बहस वकील वादी ने बताया कि बक्साराम पुत्र रूपाराम के हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

वादीगण को काबिज खातेदार/काश्तकार उद्घोषित किया जावें। अतः आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

3. बहस बकुलाय फरीकेन सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं वादपत्र तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। क्योंकि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी निम्न आधारों पर है–

(क). जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय सें नियम किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ). **जहां वादपत्र में के कथन सें यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।**

4. वादपत्र के अनुसार **"वाके ग्राम मई पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 396/731 रकबा 2.78 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजफ किया जावे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 को समान रूप से 1/9 – 1/9 हक हिस्से का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 को काबिज खातेदार/काश्तकार उद्घोषित किया जावे। जबकि उपरोक्त भूमियां छीतरसिंह पुत्र डालसिंह से विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1988 के द्वारा श्रीमति भंवरी देवी धर्मपत्नि तुलछाराम, मंगलाराम पुत्र लादुराम, गोपाललाल पुत्र भुदाराम की खरीदशुदा भूमि है, जो पैत्रिक नहीं है। पैत्रिक भूमि का कोई ऐसा सबुत वादीगण ने पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके की उक्त भूमि पैत्रिक व स्वअर्जित है। जबकि वादीगण ने उक्त भूमि को पैत्रिक भूमिया व सयुक्त परिवार की भूमियां बताई है। जिससें स्पष्ट है कि वादपत्र प्रस्तुत करते समय वास्तविक तथ्यों को पेश नहीं किया गया है। उक्त वर्णित विवेचन सें स्पष्ट है कि वादीगण का वाद विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है।**

अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(सी) सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर सें कम व दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/4/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़